

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 699/07

संस्थापन दिनांक:-23/09/05

फाईलिंग नं. 754/2017

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

1. मन्नूलाल पिता हजारीलाल
उम्र 45 वर्ष, निवासी केसिया,
थाना चिचोली, जिला बैतूल (म.प्र.)
2. बनवारी पिता हजारीलाल, **(दिनांक 28.06.2016 को निर्णीत)**
उम्र 40 वर्ष, निवासी केसिया,
थाना चिचोली, जिला बैतूल (म.प्र.)
3. राजेश पिता केपचंद, उम्र 30 वर्ष (दिनांक 16.05.2006 को फरार घोषित)
निवासी सुभाष नगर पाथाखेड़ा,
थाना सारणी, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

-(नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 25.11.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 392 अथवा 411 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 04.07.2005 को समय 08:30 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत रेलवे हास्पिटल के सामने आमला में एक सोने का मंगलसूत्र की चोरी की और उपरोक्त चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न करने में फरियादी सुशीला अतुलकर को भय कारित करने का प्रयत्न किया अथवा चुराई गई संपत्ति यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त किया या रखा।

2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त राजेश पिता केपचंद के विरुद्ध दिनांक 16.05.2006 को धारा 299 दं.प्र.सं. की कार्यवाही की गयी है तथा अभियुक्त बनवारी पिता हजारीलाल के संबंध में दिनांक 28.06.2016 को निर्णय घोषित किया जा चुका है। यह निर्णय केवल अभियुक्त मन्नूलाल पिता हजारीलाल के संबंध में घोषित किया जा रहा है।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 04.07.2005 को अपनी लड़की प्रिया, जेठानी लक्ष्मीबाई तथा उनकी लड़की शिखा एवं मेघा पांचों पैदल रोड से शादी में जा रहे थे। करीब 08:15 बजे रेल्वे हास्पिटल के सामने मेन रोड पर पीछे से दो लड़के मोटर सायकिल से बोड़खी तरफ से आये और रेल्वे हास्पिटल के सामने मोटर सायकिल थोड़ी धीमी की तथा मोटर सायकिल पर पीछे बैठे लड़के ने उसके गले से एकदम से मंगलसूत्र झटक लिया तथा दोनों लड़के मोटर सायकिल से भाग गये। मोटर सायकिल पर बैठे दोनों लड़कों की उम्र करीब 25-26 वर्ष की थी। पीछे बैठा लड़का काले रंग की जैकेट पहने था। जब वह मंगलसूत्र छीन रहा था तब हल्का सा चेहरा दिखा जिसके गाल पिचके हुए थे। वह मोटर सायकिल का कलर एवं नंबर नहीं देख पायी। उसका मंगलसूत्र सोने का कीमत 5,000/- रुपये का है।

4 फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी सूचना के आधार पर थाना आमला में अज्ञात 2 व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्र. 250/05 धारा 392 भा.दं.सं. में प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम लेखबद्ध किये गये। रघुनाथ से एक सोने का मंगलसूत्र एवं गिरवी रजिस्टर व सर्टिफिकेट तथा अभियुक्त बनवारी से एक लोहे का चाकू, जिंदा पीतल के 315 बोर के कारतूस 5 नग, एक मोटर सायकिल बजाज सीटी 100 चेचिस नंबर डीयूएफएयसी 40272 जप्त कर जप्ती पत्रक बनाये गये। जप्तशुदा मंगलसूत्र की शिनाख्ती की कार्यवाही करवायी गयी। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

5 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर एक सोने का मंगलसूत्र की चोरी की और उपरोक्त चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न करने में फरियादी सुशीला अतुलकर को भय कारित करने का प्रयत्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर चुरायी गई संपत्ति यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त

किया या रखा ?

3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष

7 उपर्युक्त दोनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8 प्रिया गुजरे (अ.सा.-1), सुशीला (अ.सा.-2), शिखा चौकीकर (अ.सा.-4), लक्ष्मी (अ.सा.-5), मेघा (अ.सा.-6) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय रेलवे कॉलोनी पैदल जा रहे थे, तभी पीछे बोड़खी तरफ से दो लड़के रेलवे हास्पिटल के सामने मेन रोड पर आये और सुशीला के गने से सोने का मंगलसूत्र छीनकर भाग गये।

9 फरियादी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) लेख करायी गयी जिसमें फरियादी सुशीला के द्वारा उसका मंगलसूत्र मोटर सायकिल में बैठे लड़कों द्वारा छीन लिया जाना बताया है। इस प्रकार साक्षी प्रिया गुजरे (अ.सा.-1), सुशीला (अ.सा.-2), शिखा चौकीकर (अ.सा.-4), लक्ष्मी (अ.सा.-5), मेघा (अ.सा.-6) एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को फरियादी सुशीला का मंगलसूत्र छीनकर लूटा गया था।

10 प्रिया गुजरे (अ.सा.-1), सुशीला (अ.सा.-2), शिखा (अ.सा.-4), लक्ष्मी (अ.सा.-5), मेघा (अ.सा.-6) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि जो लड़के मोटर सायकिल से आये थे उनका वे लोग चेहरा नहीं देख पाये थे। प्रतिपरीक्षण में प्रिया गुजरे (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि अभियुक्त को देख नहीं पाये थे। स्वतः मैं कहा कि नाकाब बंधा था। मोटर सायकिल किस कंपनी की थी वह भी नहीं देख पायी थी। सुशीला (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के नाम से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी गयी थी। उसे आज तक यह जानकारी नहीं है कि मंगलसूत्र छीनने वाले कौन लोग थे। शिखा (अ.सा.-4), लक्ष्मी (अ.सा.-5), मेघा (अ.सा.-6) ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वे किसी भी अभियुक्त को नहीं पहचानती हैं।

11 पक्षीराज (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे घटना की जानकारी उसकी पत्नी सुशीला ने दी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि उसके समक्ष कोई घटना नहीं हुई थी। अभियुक्तगण को उसने थाने में देखा था।

12 दीपक (अ.सा.-7) एवं चिरोंजीलाल (अ.सा.-8) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। दीपक ने यह बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष कोई पहचान की कार्यवाही नहीं करायी थी लेकिन शिनाख्ती प्रपत्र (प्रदर्श पी-3) पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा साक्षी चिरोंजीलाल ने यह बताया है कि वह घटना के समय पार्षद था उसके द्वारा कोई पहचान कार्यवाही नहीं करवायी गयी थी और न ही उसके शिनाख्ती पंचनामा पर हस्ताक्षर हैं। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी दीपक ने यह बताया है कि पुलिस ने उससे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर लिए थे। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

13 खुशालसिंह तोमर (अ.सा.-9) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि पुलिस उसे नीमपानी लेकर गयी थी। जहां रघुनाथ के कब्जे से मंगलसूत्र जप्त किया था। पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त मन्नूलाल को गिरफ्तार नहीं किया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसके समक्ष अभियुक्त बनवारी ने मेमोरेंडम कथन देते समय यह बताया था कि उसने मंगलसूत्र अभियुक्त मन्नूलाल को दिया था और मन्नूलाल ने मंगलसूत्र रघुनाथ प्रसाद के यहां गिरवी रख दिया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि वह अलग बैठा हुआ था। अभियुक्त से क्या-क्या पूछताछ की गयी उसकी उसे जानकारी नहीं है। उसने मेमोरेंडम (प्रदर्श पी-4), जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 और प्रदर्श पी-6 पर थाने में हस्ताक्षर पुलिस वालों के कहने में कर दिये थे।

14 रघुनाथ प्रसाद गुप्ता (अ.सा.-10) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह ग्राम नीमपानी में रहता है। उसके पास जेवरात गिरवी रखने का लायसेंस था। अभियुक्त मन्नूलाल ने उसके यहां कुछ गिरवी रखा था। उसे आज याद नहीं है कि पुलिस ने क्या कार्यवाही की थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि दिनांक 08.07.2005 को अभियुक्त मन्नूलाल ने उसके पास दो मंगलसूत्र गिरवी रखा था। दिनांक 02.08.2005 को एक सोने का मंगलसूत्र जप्त किया गया था और गिरवी रजिस्टर की फोटो कापी भी जप्त किया था जिसमें अभियुक्त मन्नूलाल द्वारा मंगलसूत्र गिरवी रखने की एन्ट्री है परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि पुलिस ने उसके सामने कोई लिखापढ़ी नहीं की थी। रजिस्टर (प्रदर्श पी-8) में गिरवी का पंजीयन लेख नहीं है। ऐसा रजिस्टर कोई भी बना सकता है। इस प्रकार साक्षी रघुनाथ प्रसाद अपने कथनों पर स्थिर नहीं है तथा साक्षी ने अभियुक्त मन्नूलाल के द्वारा दो मंगलसूत्र गिरवी रखे जाना बताया है। साथ ही जप्त रजिस्टर (प्रदर्श पी-8) में

गिरवी का पंजीयन लेख न होना बताया है।

15 प्रकरण में साक्षी विनोदी पवार (अ.सा.-11), प्रभुदयाल (अ.सा.-12), रामू (अ.सा.-13) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। फलतः अभियोजन को उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

16 प्रकरण में उपर्युक्तानुसार किये गये साक्ष्य विवेचन से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त मन्नूलाल ने ही फरियादी सुशीला के गले से एक सोने का मंगलसूत्र छीना और उसे ले जाने का प्रयत्न करने में उसे भय कारित किया। साथ ही उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से यह भी प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्त मन्नूलाल ने चुरायी गयी संपत्ति को चोरी का होना जानते हुए अपने आधिपत्य में रखा क्योंकि जिस मंगलसूत्र को अभियुक्त मन्नूलाल के द्वारा गिरवी रखा गया था वह वही मंगलसूत्र है जो कि फरियादी के आधिपत्य से चोरी किया गया था, ऐसा अभियोजन प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि फरियादी सुशीला से उसके चोरी गये मंगलसूत्र की शिनाख्ती करायी गयी हो। साथ ही साक्षी चिरोंजीलाल (अ.सा.-8) ने पहचान कार्यवाही कराने से इनकार किया है और शिनाख्ती पंचनामा में अपने हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया है। फलतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त मन्नूलाल ने फरियादी सुशीला का सोने का मंगलसूत्र चुराया और उस संपत्ति को ले जाने में भय कारित किया अथवा अभियुक्त मन्नूलाल ने मंगलसूत्र को चोरी का हुए जानते हुए अपने आधिपत्य में रखा।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

17 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर एक सोने का मंगलसूत्र की चोरी की और उपरोक्त चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न करने में फरियादी सुशीला अतुलकर को भय कारित करने का प्रयत्न किया अथवा चुरायी गई संपत्ति यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त किया या रखा। फलतः अभियुक्त मन्नूलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 अथवा 411 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में

उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19 प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायकिल बजाज सीटी 100 चेचिस नंबर डीयूएफएयसी 40272 के आवेदक/सुपुर्ददार बनवारी पिता हजारी निवासी केसिया थाना शाहपुर जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है एवं जप्तशुदा एक सोने का मंगलसूत्र एवं गिरवी रजिस्टर व सर्टिफिकेट तथा एक लोहे का चाकू जिंदा पीतल के 315 बोर के कारतूस 5 नग, के संबंध में अंतिम आदेश अभियुक्त राजेश के संबंध में निर्णय घोषित करने समय किया जावेगा।

20 अभियुक्त मन्मूलाल द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

21 प्रकरण में अभियुक्त राजेश फरार है। अतः प्रकरण नष्ट न किये जाने की टीप के साथ अभिलेखागार भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)